[24/3/2022]

प्रश्न सं. [क. 3953]

परिशिष्ट -1

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/राशिके/ईएण्डआर/2015/5557 भोपाल, दिनांक 15.7.15

प्रति,

कलेक्टर,
जिला — समस्त जिले (म.प्र.)

विषयः—शाला अप्रवेशी एवं शाला त्यागी बच्चों के लिए बालक आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र संचालन वर्ष 2015—16 के संबंध में।

संदर्भः—इस कार्यालय का पत्र क./राशिके/ईएण्डआर/2364/2015 भोपाल, दिनांक 30.03.2015 एवं पत्र क./राशिके/ईएण्डआर/3228/2015 भोपाल, दिनांक 22.04.2015।

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्रों के माध्यम से शाला अप्रवेशी एवं शाला त्यागी बच्चों के लिए बालक आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र संचालन वर्ष 2015—16 के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश प्रसारित किये गये है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुक्रम 6 से 14 आयुवर्ग के समस्त बच्चों को शाला में प्रवेश कराकर गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान किये जाने का दायित्व राज्य शासन का है। उक्त क्रम में ऐसे बच्चें जो शाला से बाहर है, को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में दर्ज करवाकर विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से कक्षा अनुसार दक्षताऐं विकसित कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाना है। विशेष रूप से –

1. ऐसे बच्चे जो, रैलवे स्टैशन एवं बस स्टेंड के प्लेटफार्म पर रहने वाले, पन्नी बिनने वाले, बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़कर प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कराना।
2. पलायन करने वाले परिवारों के बच्चे अथवा घर से भागे हुए है, को आवासीय सुविधा प्रदान कर प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना।
3. विमुक्त (Denotified Trible) एवं प्रीमिटिव ट्राइवल परिवार के बच्चे। वन ग्राम पट्टाधारी परिवार के बच्चे को आवासीय सुविधा प्रदान कर प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराना।

2/ वार्षिक कार्ययोजना 2015—16 में प्रोग्राम एप्रुवल बोर्ड भारत सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले में 6 से 14 आयुवर्ग के शाला से बाहर बच्चों के लिए जिले के 10 संभागीय मुख्यालय पर 250 सीटर एवं शेष 41 जिला मुख्यालय पर 100 सीटर आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत किये गये है। जिलेवार स्वीकृत सीट परिशिष्ट "अ" पर है। इस हेतु निम्न बिन्दुओं के आधार पर स्थल चयन किया जाये –

- संभागीय जिला मुख्यालय पर 250 बालकों के लिए एवं जिला मुख्यालय पर 100 बालकों हेतु कोई भी उपयुक्त रिक्त शासकीय भवन, जिसमें बालकों के रहने के लिए समुचित स्थान उपलब्ध हो।
- जिला मुख्यालय पर डाईस डाटा के आधार पर ऐसे शासकीय विद्यालय को चिन्हित किया जावे, जहॉ बच्चों की दर्ज संख्या कम है एवं कक्षों की संख्या अधिक है, उस विद्यालय को चिन्हित कर आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र हेतु चयन किया जा सकता है।
- बालक आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र संचालन हेतु ऐसे स्थान का चयन किया जावे, जहॉ या तो उसी परिसर में प्राथमिक/माध्यमिक शाला संचालित हो या उसके नजदीक में प्राथमिक/माध्यमिक शाला संचालित हो ताकि बच्चों को शाला आने जाने में सुविधा हो ।

आर.के.त्रिवेदी
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (बजट प्रावधान वर्ष–2016–17) परिशिष्ट 1

100 सीटर हेतु

स.क्र.	आवर्ती व्यय	बजट प्रावधान	विवरण
1	शिक्षार्थी व्यय–		
1.1	भोजन– जुलाई से जून – 100 बालकों के लिए	900000	भोजन के लिए रूपये 750/– प्रति माह प्रति बालक। (12 माह के लिए)
1.2	बिस्तर, बर्तन, मच्छरदानी	26600	100 बच्चों हेतु (12 माह के लिए)
1.3	कुकिंग गैस/ईंधन के लिए	24000	200/– प्रति बालक प्रति वर्ष के लिए (12 माह के लिए)
2	स्टेशनरी, अभ्यास पुस्तकें एवं शैक्षिक सामग्री, पठन पाठन सामग्री	40000	400/– रुपये प्रति बालकों के मान से (वार्षिक)
2.1	कार्यालयीन उपयोग हेतु रजिस्टर, कैशबुक, लेजर, स्टाक पंजी, तथा अन्य आवश्यक सामग्री, कम्प्यूटर स्टेशनरी –	10000	(100/– रुपये प्रति बालकों के लिए (वार्षिक)
3	(वेतन भत्ते)		
3.1	वार्डन, सहायक वार्डन	141780	वार्डन मानदेय रु.2000/– प्रतिमाह सहायक वार्डन मानदेय रु.9815/– प्रतिमाह (12 माह के लिए)
3.2	उपचारात्मक शिक्षण हेतु अंशकालिक स्वयंसेवी शिक्षिकायें, कम्प्यूटर शिक्षिका	150000	विषयवार 3 अंशकालीन शिक्षिका 100 सीटर हेतु (4500 रू. प्रति माह प्रति शिक्षिका प्रति विषय अधिकतम दो विषय 10 माह के लिए एवं 500 रू. प्रतिमाह प्रति शिक्षिका शैक्षिक अभिलेखों के संधारण हेतु)
3.3	लेखापाल	12000	रु.1000/– प्रतिमाह (12 माह के लिए)
4	अन्य स्टाफ मानदेय		
4.1	भृत्य एवं चौकीदार	120000	कलेक्टर दर पर (एक चौकीदार एवं एक भृत्य 5000/– प्रतिमाह) (12 माह के लिए)
4.2	एक रसोईया एवं दो सहायक रसोईया	180000	कलेक्टर दर पर (एक रसोईया 6000/–प्रतिमाह, दो सहायक रसोईया 4500/ प्रतिमाह)
4.3	अंशकालिक स्वीपर का मानदेय एवं शौचालय साफ–सफाई सामग्री	14220	अंशकालिक स्वीपर मानदेय प्रतिमाह अधिकतम 1000/– प्रतिमाह एवं 2220/– साफ–सफाई सामग्री एक वर्ष के लिए
5	विद्युत व्यय, पेयजल एवं ईंधन संबंधी भुगतान इत्यादि	100000	1000 रुपये प्रति बालक वार्षिक
6	चिकित्सकीय देखभाल	125000	1250/– रुपये प्रति बालक वार्षिक
7	मेंटेनेंस रखरखाव (भवन की पुताई) किसी शासकीय भवन का उपयोग करने पर उसके रखरखाव,शौचालय, स्नानघर, तार, फैंसिंग आदि हेतु	75000	750/– रुपये प्रति बालक वार्षिक
8	मिसलेनियस (बालकों के लिए व्यक्तिगत आवश्यकता हेतु व्यय) 1 जोड़ी कपड़े, बिस्तर निर्देशानुसार ।	75000	750/– रुपये प्रति बालक वार्षिक
9	दक्षता विकास (capacity building) वार्डन, सहायक वार्डन ,शिक्षक एवं समस्त स्टाफ का प्रशिक्षण	4200	प्रशिक्षण राज्य स्तर से होगा एवं टी.ए./डी.ए. की राशि संबंधित छात्रावासों से देय होगी
	कुल	2000000	

19/2/16

आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में प्रति बालक/बालिका प्रति वर्ष यूनिट कास्ट रूपये 20000/– (बीस हजार मात्र) के व्यय का प्रावधान है। जिले में पूर्व में संचालित आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में उपलब्ध सामग्री यथा बर्तन, बिस्तर एवं अन्य सामग्री का भी उपयोग किया जाएगा। मदवार बजट व्यय सीमा में किया जाए एवं एक मद से दूसरे मद में व्यय नहीं किया जाएगा। वित्तीय नियमों का पालन किया जाएगा।

आर.के.त्रिवेदी
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी,
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

- चयनित स्थल के निकट स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो।
- चयनित स्थल बालकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त हो।
- चयनित भवन में विद्युत व्यवस्था हो।
- चयनित शाला भवन/सार्वजनिक भवन इत्यादि में यह संभावना है कि 250/100 बालकों के लिए पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था न हो। अतः चयनित भवन में सर्व प्रथम प्राथमिकता के आधार पर शौचालय की व्यवस्था किया जावे। शौचालय एवं बाथरूम में पानी एवं नियमित सफाई की प्रभावी व्यवस्था भी सुनिश्चित किया जावे। शौचालय ऐसे होने चाहिए, जिन्हें सभी बच्चें सहज रूप से उपयोग कर सके।
- समुचित पेय जल की व्यवस्था हो तथा आस–पास का वातावरण स्वास्थ्यवर्धक हो।
- खाना बनाने की व्यवस्था संतोषजनक हो।

3/ आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा गत वर्ष 2014–15 में जारी किये गये निर्देश यथावत रहेगें। मदवार बजट वर्ष 2015–16 के लिए परिशिष्ट "ब" एवं परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। प्रति बालक प्रतिवर्ष अधिकतम रू. 20,000/–(रू. बीस हजार मात्र) के व्यय का प्रावधान है।

4/ संभाग/जिला मुख्यालय पर संचालित की जाने वाली बालक आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में दर्ज बच्चों के नाम (एजुकेशन पोर्टल के अनुसार) का अनुमोदन जिला कलेक्टर से लिया जाना अनिवार्य होगा। कलेक्टर के अनुमोदन के उपरांत ही बालक आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन किया जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(आशीष श्रीवास्तव)
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल, दिनांक

पृ.क्रमांक/राशिके/ईएण्डआर/2015/

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव माननीय राज्य मंत्रीजी म.प्र. शासन की ओर सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
4. संभागीय आयुक्त समस्त संभाग की ओर सूचनार्थ।
5. आयुक्त आदिवासी विकास म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले की ओर सूचनार्थ।
8. संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण समस्त संभाग की ओर सूचनार्थ।
9. जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले की ओर सूचनार्थ।
10. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास समस्त जिले की ओर सूचनार्थ।
11. जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र समस्त जिले की ओर सूचनार्थ।

आर.के.त्रिवेदी
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र